

इनटिग्रेशन कोर्स के बारे में सूचना पत्र

जर्मनी में नए आने हुए प्रवासी-नों के लिए, जिन्हें जर्मन भाषा के कोर्स में भाग लेने का हक है और जिनका इस कोर्स में जाना कानूनी कर्तव्य है तथा जर्मनी में लम्बे अवधि से रहते हुए प्रवासी-नों के लिए इनटिग्रेशन कोर्स के दौरान जर्मन भाषा सिखने के कोर्सों के बारे में जानकारी

आदरणीय नागरीको,

निवास कानून के अनुसार आपको इस कोर्स में एक बार भाग लेने का हक है, -ा इसमें भाग लेने का आपका कर्तव्य बनता है.

इनटिग्रेशन कोर्स क्या होता है ?

सामान्य इनटिग्रेशन कोर्स में 600 स्कूली घंटों का एक जर्मन भाषा सिखने का कोर्स होता है और 45 घंटों का एक जर्मन लोकाचार के बारे में जानकारी पाने का कोर्स होता है. भाषा-कोर्स को 100 घंटों के अंशों में बांटा गया है. पहले 300 घंटों को आरंभक-कोर्स कहा जाता है और अगले 300 घंटों को एडवान्स कोर्स कहा जाता है

भाषा के कोर्स में आप जर्मन शब्दावली सिखेंगे जिसकी आपको दिन-प्रतिदिन जर्मन बोलने -ा लिखने में आवश्यकता होगी. इसमें सरकारी कार्नाल-नों से ताल-मेल, पडोसी-नों और सहकर्मचारी-नों से बात-चीत तथा पत्र लिखना और फ़ार्म को भरना आदि सिखाया जाता है.

लोकाचार कोर्स में आपको जर्मन सामाजिक जीवन के बारे में सूचना दी जाती है और -हां के कानूनों तथा नियमों के बारे में और इस देश की संस्कृति और देश के नए इतिहास के बारे में सूचना दी जाती है.

महिला-नों, मां-बाप और किशोरावस्था तथा अनपढ़ लोगों के लिए अलग-अलग विशेष कोर्स बनाने गये हैं. इन कोर्सों की अवधि 945 घंटे है. अगर आप शीघ्र सीख सकते हैं तो आपको इनटेनसिव कोर्स में जाना चाहिए. इसकी अवधि केवल 430 घंटे है.

कौन सा कोर्स आपके लिए सही होगा और कोर्स के किस अंश में आरम्भ किया जाये, इस बात की जांच आपका टेस्ट लेने के बाद सिद्ध की जा सकती है.

परिक्षा में हिस्सा लेना

परिक्षा को दो अंशों में बांटा गया है. पहले अंश में आपको जर्मन भाषा में परिक्षा देनी होगी और एक लोकाचार विषय में. अगर आप जर्मन कोर्स में अच्छे नंबर से पास होते हैं और लोकाचार विषय में भी पास हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपने इनटिग्रेशन कोर्स को पास कर लिया और आपको इस का प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट इनटिग्रेशन कोर्स) दिया जाएगा.

अगर आपने परिक्षा पास नहीं की तो आपको केवल उस कोर्स में हिस्सा लेने का प्रमाण-पत्र दिया जाएगा जिसमें आप पास होंगे.

परिक्षा देना निशुल्क है.

इनटिग्रेशन कोर्स में भाग लेने के लाभ

प्रवासी जो यूरोपीय संघ के देशों के अलावा अन्य देशों के नागरिक हैं, उन्हें कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं अगर वह जर्मनी में स्थानीय निवास की अनुमति चाहते हैं. इन शर्तों में एक शर्त है कि जर्मन भाषा की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए और जर्मनी में सामाजिक जीवन, कानूनों, नियमों आदि के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए. इनटिग्रेशन कोर्स में पास होने के पश्चात यह शर्तें पूरी हो जाती हैं. इसके अलावा आप समय से पहले जर्मनी की नागरिकता पा सकते हैं.

इसके अतिरिक्त इनटिग्रेशन कोर्स में पानी गयी जर्मन भाषा की जानकारी से जर्मनी में जीवन आसान हो जाता है और नौकरी मिलने के अवसर बढ़ जाते हैं.

इनटिग्रेशन कोर्स में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन

अगर आपको कोर्स में भाग लेने की अनुमति मिलती है तो आपको इस बारे में प्रवासी दफ्तर (Ausländeramt) या रोजगार कार्यालय से (Arbeitslosengeld II) से लिखित सूचना भेजी जाएगी (बिरेशटिंगूंग शाइन). साथ में ही आपको कोर्स देने वाली संस्थाओं की सूची भेजी जाएगी जो आपके आस-पड़ोस में कोर्स करते हैं.

इस प्रमाण पत्र में इस वाक्य „Die Teilnahmeberechtigung ist gültig bis ...“ के नीचे एक तारीख लिखी होगी. आप इस तारीख तक इनटिग्रेशन कोर्स आरम्भ कर सकते हैं. आपको इस अवधि तक कोर्स देने वाली संस्था में अपने-आप को रजिस्टर करवा लेना चाहिए. इसलिए कृपया शीघ्र ही किसी कोर्स करने वाली संस्था से सम्पर्क करें और वहां भाग लेने वाले लिखित प्रमाण पत्र को जमा करवा दें.

कोर्स करने वाली संस्था से आपको कोर्स आरम्भ होने के बारे में सूचना मिलेगी. कोर्स की रजिस्ट्रेशन करने के तीन महीने के अंदर कोर्स आरम्भ हो जाना चाहिए. अगर इस अवधि तक कोई कोर्स आरम्भ नहीं होता तो से आपको इस बारे में सूचना मिलेगी. फिर आप खुद फैसला कर सकते हैं कि आप इंतजार करना चाहते हैं या किसी अन्य संस्था के पास कोर्स करना चाहते हैं. इस हालत में कोर्स करने वाली संस्था आपको बिरेशटिंगूंग शाइन वापस दे देगी.

कोर्स में बकाया सहभागिता

इंटीग्रेशन कोर्स का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको बकाया फॉर्म में कोर्स में भाग लेना चाहिए। इसका अर्थ कक्षा में निरंतर रूप से उपस्थित होना और अंतिम परीक्षा में भाग लेना है। कोर्स में बकाया सहभागिता आपके लिए तब भी महत्वपूर्ण है अगर आप यात्रा भत्ता प्राप्त करना चाहते हैं या बाद की तिथि में अनुसरण भाषा कोर्स फिर से लेना चाहते हैं। आपके कोर्स प्रदाता आपके अनुरोध पर आपको आपकी भागीदारी का लिखित पुष्टिकरण प्रदान करेंगे।

सामान्य रूप से, केवल कोर्स का एक अनुभाग पूर्ण करने के बाद ही कोर्स प्रदाता बदलना संभव है।

इनटिग्रेशन कोर्स की फीस

भाग लेने के लिए आपको 1 यूरो प्रति स्कूली घंटे की फीस कोर्स की संस्था को भरनी होगी। यह रकम हर 100 घंटों के अंश के लिए भरनी होगी और लोकाचार के कोर्स के आरम्भ में देनी होगी।

अगर आप कोर्स में सतत हिस्सा नहीं लेते तो आपको उन घंटों की फीस वापिस नहीं दी जा सकती जिनमें आप उपस्थित नहीं थे। अगर आपकी अपनी कोई आमदनी नहीं है तो यह फीस उस व्यक्ति को भरनी होगी जिसके पास आप के जीवन-निर्वाह की जिम्मेदारी होगी।

संघीय कार्यालय (Bundesamt) की तरफ से आपको फीस की मुक्ति मिल सकती है अगर आपकी आमदनी बहुत कम है। फीस से मुक्ति पाने के लिए आपको संघीय कार्यालय (Bundesamt) के स्थानीय दफ्तर में लिख कर आवेदन पत्र भेजना होगा (पत्ते की सूची देखें)। फीस की मुक्ति पाने के सबूत (कागजातों की फोटोकॉपी) भी साथ भेज दें। कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवाने के समय साथ ही फीस की मुक्ति का आवेदन पत्र भी भरकर भेज दें।

वह भाग लेने वाले जिन्हें रोजगार कार्यालय से स्वर्चा (Arbeitslosengeld II) मिलता है और जिनका कोर्स में हिस्सा लेना कानूनी कर्तव्य है, उन्हें इस फीस से मुक्ति मिल सकती है। इस हालत में आपको संघीय कार्यालय (Bundesamt) में आवेदन पत्र नहीं भेजना होगा। पर आपको कोर्स में हिस्सा लेना कानूनी कर्तव्य है, उन्हें इस फीस से मुक्ति मिल सकती है। इस हालत में आपको संघीय कार्यालय (Bundesamt) को इस बारे में सूचना देनी होगी अगर आपको रोजगार कार्यालय से स्वर्चा (Arbeitslosengeld II) मिलना बंद हो जाये।

शुल्क में योगदान की वापसी

अगर आपने 8 दिसंबर, 2007 के बाद की अंतिम परीक्षा सफलतापूर्वक दी है, तो प्रवसन और शरणार्थियों का संघीय कार्यालय, आपको पहले से प्रदत्त शुल्क के योगदान के 50% की वापसी कर सकता है। हालांकि, यह केवल तब लागू होता है अगर कोर्स में उपस्थित होने की योग्यता के पुष्टिकरण के प्रकाशन और अंतिम परीक्षा की पूर्णता के बीच दो वर्ष से अधिक न बीते हों। वापसी के लिए आपको प्रवसन और शरणार्थियों के संघीय कार्यालय के कार्यक्षम क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन करना होगा।

यात्रा व्यय

अगर आपने कार्यक्षम कार्यालय से बेरोजगारी मुआवज़ा II (Arbeitslosengeld II) प्राप्त किया है और इन्टीग्रेशन कोर्स में उपस्थित होने के लिए बाध्य हैं, तो आपको शुल्क में योगदान का भुगतान करने से छूट प्राप्त करने पर आपको आवश्यक यात्रा व्यय वापस किए जाएंगे। आवश्यकता होने पर, अगर अप्रवास कार्यालय के लिए आवश्यक है कि आप कोर्स में भाग लें, तो आपको यात्रा व्ययों के लिए भत्ता प्राप्त हो सकता है। हालांकि, इसके लिए योग्य होने के लिए कोर्स का स्थान आपके निवास से 3 किमी. से अधिक दूरी पर होना चाहिए। सैद्धान्तिक रूप से, केवल आपके सबसे निकट स्थित कोर्स प्रदाता तक के यात्रा व्यय की वापसी की जाएगी। कृपया यह पता करने के लिए कि क्या आपको यात्रा व्ययों की वापसी के लिए प्रवसन और शरणार्थियों के संघीय कार्यालय के कार्यक्षम क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन करना होगा, अपने कोर्स प्रदाता से पूछें।

सैद्धान्तिक रूप से, यात्रा व्यय केवल कोर्स में बकाया सहभागिता पर वापस किए जा सकते हैं।

अनुसरण भाषा कोर्स को दोहराना

अगर आप भाषा परीक्षा में जर्मन के बारे में पर्याप्त ज्ञान का प्रदर्शन करने में असमर्थ थे, तो आप एक बार में 300 अध्याय घंटे दोहरा सकते हैं (अनुसरण भाषा कोर्स)। हालांकि, इसके लिए आपको नियमित रूप से अध्यायों के लिए उपस्थित होने और आने वाली अंतिम परीक्षा देने की आवश्यकता होती है।

अगर आप साक्षरता कोर्स ले रहे हैं, तो अंतिम परीक्षा में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है।

दोहराए गए अध्यायों के बाद का भाषा परीक्षा में भाग लेना भी निःशुल्क होगा।

अगर आप अनुसरण भाषा कोर्स दोहराना चाहते हैं तो आपको प्रवसन और शरणार्थियों के संघीय कार्यालय में आवेदन करना होगा।

जिनका कोर्स में जाना कानूनी कर्तव्य है उनके लिए कुछ सूचना

अगर आपको प्रवासी दफ्तर (Ausländeramt) -ना रोजगार कार्यालय (Arbeitslosengeld II) से कोर्स में भाग लेने के लिए कहा गया है तो आपको जल्दी से जल्दी कोर्स करने वाली किसी संस्था के पास रजिस्ट्रेशन करवानी होगी और नि-मानुसार कोर्स में भाग लेना होगा।

अगर आप -ह नहीं करते तो इस से आपको मुश्किल हो सकती है:

जर्मनी में रहने के वीजा की अवधि बढ़ाने में असर हो सकता है।

अगर आपको अगर आप -ह नहीं करते तो इस से आपको मुश्किल हो सकती है:

- जर्मनी में रहने के वीजा की अवधि बढ़ाने में बुरा असर हो सकता है।
- अगर आपको सोशल दफ्तर से खर्चा मिलता है तो उसे कम कि-ना जा सकता है।
- -ह भी हो सकता है कि प्रवासी दफ्तर आपको आदेश दे कि आपको कोर्स के हर घंटे की आपकी फ़ीस, जो 1,- यूरो है, वह इकट्ठी एक रकम में देनी होगी।
- आपको पैसों की सजा हो सकती है।

अगर आप निम्नानुसार कोर्स में हिस्सा नहीं लेते तो कोर्स की संस्था का यह फ़र्ज है कि वह इस बारे में प्रवासी दफ़्तर (Ausländeramt) या रोजगार कार्यालय (Arbeitslosengeld II) को सूचना भेजे.

अन्य चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए

⇒ इस निर्देश पत्रक में उल्लिखित सभी आवेदन फ़ॉर्म कोर्स प्रदाता के पास, आपके स्थानीय अप्रवास कार्यालय और कार्यक्षम क्षेत्रीय कार्यालय में उपलब्ध हैं. आप इंटरनेट साइट www.integration-in-deutschland.de पर भी फ़ॉर्म प्राप्त कर सकते हैं.

निर्देश पत्रक में इंटिग्रेशन कोर्स में आपकी सहभागिता के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है. आपका कोर्स प्रदाता अतिरिक्त विवरण पर आपको जानकारी प्रदान करेगा.

कृपया शरणार्थी परामर्श कार्यालयों और युवा अप्रवास सेवा द्वारा प्रस्तावों पर भी ध्यान दें. ये कार्यालय आवेदनों में आपकी सहायता करेंगे, आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे और आपकी समस्याओं को संबोधित करेंगे और वे आपके लिए उपयुक्त इंटिग्रेशन कोर्स ढूंढ सकते हैं. आप अपने स्थानीय अप्रवास कार्यालय, प्रवासन और शरणार्थियों के संघीय कार्यालय के कार्यक्षम क्षेत्रीय कार्यालय या इंटरनेट पर www.integration-in-deutschland.de से पता सकते हैं कि आपके पड़ोस में अप्रवास परामर्श कार्यालय और युवा अप्रवास सेवाएं कहां हैं.

कृपया ध्यान दें कि जब आप इंटिग्रेशन कोर्स में उपस्थित होते हैं तो आप वैधानिक दुर्घटना बीमा के अधीन नहीं होंगे.